बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

25 फरवरी 2026

[ग्रामीण कार्य विभाग - ग्रामीण विकास विभाग - पंचायती राज विभाग - जल संसाधन विभाग - लघु जल संसाधन विभाग - पथ निर्माण विभाग - भवन निर्माण विभाग - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग].

कुल अल्पसूचित प्रश्न 5

परियोजना का निर्माण

*93 **श्री रूहेल रंजन (174) (इस्लामपुर)**:

जल संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखंड में उदेरास्थान बहुउद्देशीय परियोजना में फल्गु से जलवार नदी एवं

फल्गु मोहानी नदी का जीर्णोद्धार करने के लिए डीपीआर बनाया गया था, लेकिन आज तक इस कार्य को नहीं किया गया है; 2. क्या यह बात सही है कि इस वर्ष भी फल्गु जलवार का डीपीआर दिया गया है लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण निष्चलगंज नहर ब्रहगामा बियर, बेले बियर तथा मुहाने नदी से बरायी बियर, रानीपुर बियर, मुण्डीपुर बियर, ओंगारी बियर, रसीसा बियर इत्यादि क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त उदेरास्थान बहुद्देष्यीय परियोजना का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कॉरिडोर का निर्माण

*94 **श्री मिथिलेश तिवारी (99) (बैकुण्ठपुर)**:

पथ निर्माण विभाग :-

क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा पटना से भागलपुर तथा पटना से कोईलवर गंगा नदी के किनारे सुगम यातायात और पर्यटन उधोग की वृद्धि हेतु जयप्रकाश गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट, सुगम यातायात, मेरिन ड्राइव का सुगम आनंद, रोजगार के अवसर के साथ रिवर टुरिज्म के क्षेत्र में वृद्धि हुई है; यदि हाँ, तो सरकार जयप्रकाश गंगा पथ को कोईलवर से बक्सर तक विस्तारित करते हुए गंगा पथ के तर्ज पर नारायणी नदी के किनारे सोनपुर हरिहरनाथ क्षेत्र से गोपालगंज होते हुए बाल्मीकि नगर तक नारायणी हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण का कब तक विचार रखती है, नहीं तो क्यों?

कटाव निरोधक कार्य

*95 **मो. तौसीफ आलम (52) (बहादुरगंज)**:

जल संसाधन विभाग :-

क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

1. क्या यह बात सही है कि समस्त बिहार में नदी के तट पर बसे गांव के साथ साथ किशनगंज जिला के तीनों प्रखंड में नदी कटाव की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है;
2. क्या यह बात सही है कि राज्य में नदी कटाव से खेत-खलीहान वृक्ष आवासीय भूभाग तथा ग्रामीण संरचनाएँ नदी में विलिन हो रहे है खास कर किशनगंज जिला के प्रखंड बहादूरगंज प्रखंड के पंचायत महेश्वथाना के टोला पहटगांव एवं महेशवथना गांव, पंचायत लौचा के बौचागरी सामेढ़ी प्रखंड दिघलबैंक के पंचायत पथड़घट्टी के टोला गुआल टोली गांव सहित अन्य कई स्थानों पर नदी कटाव से व्यापक क्षति हुई है;
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं , तो क्या सरकार कटाव से संबंधित उक्त वर्णित क्षेत्रों में कटाव निरोधक (पक्की करण सुदृढ़ीकरण) कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?

प्लॉट का निबंधन

*96 **श्री रत्नेश कुमार (184) (पटना साहिब)**:

पथ निर्माण विभाग क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत वर्ष 1971-72 में गंगा पुल परियोजना के तहत महात्मा गॉधी सेतु निर्माण के समय 514 विस्थापित परिवारों को बसाने हेतु सरकार द्वारा सभी विस्थापितो को प्लॉट आवंटन किया गया था, साथ ही प्लॉट के निबंधन हेतु प्रतिफल राशि भी सरकार ने विस्थापितों से बैंक में जमा करायी थी ? इसके बावजूद विभागीय उदासीनता वजह से आज तक 128 लोगों को निबंधन नहीं हो पाया है । यदि हां तो सरकार उक्त लोगों के प्लॉट निबंधन कराने का कबतक विचार रखती है, नहीं तो क्यो ?

दोषियों पर कारवाई करना

*97 **श्री बैद्यनाथ प्रसाद (23) (रीगा)**:

ग्रामीण विकास विभाग :-

क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

1. क्या यह बात सही है कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों की सूची तैयार कराकर आवास उपलब्ध कराने हेतु विकास मित्रों के माध्यम से चयनित की जाने वाले लाभुकों की सूची में कई पात्र लाभुक अब भी लाभ पाने से वंचित है जिसका कारण लाभुकों की सूची बनाने में विकास मित्रों की अपारदर्शी भूमिका है; यदि हाँ, तो क्या सरकार पात्र लाभुकों के छुटे नाम प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए चयनित सूची में शामिल करने हेतु एक और मौका देने एवं पात्र लाभुकों के नाम चयनित सूची में शामिल नहीं करने वाले कर्मियों पर विधि सम्मत कारवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?